भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
26.03.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 4318 का उत्तर

रेलवे स्टेशनों पर पिटों का निर्माण

4318. डॉ. आलोक कुमार सुमन:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे जोन में रेलवे स्टेशनों पर रेल के डिब्बे को अगली यात्रा हेतु तैयार करने के संबंध में सभी प्रकार की साफ-सफाई और रख-रखाव के लिए पिटों का निर्माण कार्य लंबित है;
(ख) पूर्वोत्तर रेलवे जोन में रेलवे स्टेशनों पर प्रस्तावित पिटों का ब्यौरा क्या है;
(ग) पूर्वोत्तर रेलवे जोन में रेलवे स्टेशन विशेषकर बिहार में थावे और सीवान जंक्शन तथा उत्तर प्रदेश में देवरिया जंक्शन पर पिटों के निर्माण के लिए स्वीकृत राशि का ब्यौरा क्या है; और
(घ) विगत छह वर्षों के दौरान इस संबंध में संसद सदस्यों की ओर से प्राप्त अभ्यावेदनों/अनुरोधों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): पिट लाइन सुविधाओं को परिचालनिक और अनुरक्षण की आवश्यकतानुसार योजनाबद्ध और निष्पादित किया जाता है। तदनुसार, पूर्वोत्तर रेलवे जोन में रामनगर, कासगंज और लालकुआं में पिट लाइन सुविधाओं से संबंधित कार्यों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और कार्य शुरू कर दिया गया है।

वर्तमान में, थावे, सिवान और देवरिया स्टेशन क्रमशः 14 जोड़ी, 49 जोड़ी और 52 जोड़ी रेलगाड़ी सेवाओं द्वारा सेवित किए जा रहे हैं। इसके अलावा, भारतीय रेल पर नई रेलगाड़ियां

चलाना और रेलगाड़ियों के ठहराव का प्रावधान करना एक सतत् प्रक्रिया है, जो यातायात औचित्य, परिचालनिक व्यवहार्यता, संसाधनों की उपलब्धता आदि के अध्यधीन है।

इसके अलावा, रेलवे बोर्ड, क्षेत्रीय रेलों, मंडल कार्यालय आदि सहित विभिन्न स्तरों पर रेलवे को राज्य सरकारों, केंद्र सरकार के मंत्रालयों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, परामर्शदात्री समितियों आदि से औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के अभ्यावेदन/अनुरोध प्राप्त होते हैं। चूंकि ऐसे अभ्यावेदन/अनुरोध प्राप्त होना एक सतत् और गतिशील प्रक्रिया है, इसलिए ऐसे अभ्यावेदनों/अनुरोधों का केंद्रीकृत संग्रह नहीं रखा जाता है। बहरहाल, इन अभ्यावेदनों/अनुरोधों आदि पर निर्धारित प्रक्रिया/दिशानिर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

*****